

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 566]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 27 अक्टूबर 2010—कार्तिक 5, शक 1932

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2010

क्र. एफ. 23-6-2010-सा-उन्नीस.—यतः, मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 11 सन् 2005) की धारा 12(1) के अधीन, राज्य सरकार का भोपाल-देवास मार्ग पर भवन रेखा तथा नियंत्रण रेखा नियत करने का आशय है. चूंकि राज्य सरकार ने यह स्वीकार किया है कि उक्त नियंत्रण रेखा तथा भवन रेखा का संरेखांकन नियत करना लोकहित में महत्वपूर्ण है, अतः भोपाल-देवास राजमार्ग की नियंत्रण तथा भवन रेखा का निम्नानुसार नियत किया जाना प्रस्तावित है :-

नियंत्रण रेखा	मार्ग के केन्द्र से दोनों ओर 75 मीटर
भवन रेखा	मार्ग के केन्द्र से दोनों ओर 40 मीटर

उपरोक्त रेखा नियत किये जाने के कारण प्रभावित होने वाले गांव नीचे सूचीबद्ध हैं.

अतएव, मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 11 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह घोषित करती है कि राज्य सरकार का उक्त अधिनियम की धारा 12(1) के निबंधनों के अनुसार अधिसूचना जारी करने का आशय है जिसमें प्रस्तावित मार्ग की नियंत्रण रेखा तथा भवन रेखा नियत की जाएगी. एतएव, इस अधिसूचना के जारी होने के संबंध में यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो या उनका कोई सुझाव देने का आशय हो तो वह इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर या गांव में इसके प्रकाशन से 15 दिन के भीतर अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित में राजमार्ग प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकेंगे.

उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम मर्यादित को राजमार्ग प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिनका कार्यालय 16-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में है.

भोपाल-देवास चारलेन मार्ग पर आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	चेनेज/कि.मी. (3)	रिमार्क (4)
1	बैरागढ़ कलां	11.00	निर्मित
2	भैंसाखेड़ी	12.00	निर्मित
3	बहुरी	13/6	निर्मित
4	जमुनी चीर	15.00	निर्मित
5	कोलूखेड़ी	17.00	निर्मित
6	खजूरी सड़क	19-20.00	निर्मित
7	फंदा कलां	22-23.00	निर्मित
8	थुनाकलां	26.00	कृषि
9	लसुरिया प्रहार	29.00	निर्मित/कृषि
10	ताकीपुर	30.00	निर्मित/कृषि
11	महुआखेड़ी	32.00	निर्मित/कृषि
12	सेकड़ाखेड़ी	34.00	निर्मित/कृषि
13	बाढ़ियाखेड़ी	36.00	निर्मित/कृषि
14	कस्बा-सीहोर	37.00	निर्मित/कृषि
15	सारंजाखेड़ी	39.00	निर्मित/कृषि
16	रफिकगंज	40-41.00	निर्मित/कृषि
17	नापलाखेड़ी	44-45.00	निर्मित
18	चित्तोड़िया-हेमा	47.00	कृषि
19	जाटखेड़ी	48.00	कृषि
20	खोकरी	50.00	कृषि
21	उदपुरा	52.00	कृषि
22	लालाखेड़ी	53.00	कृषि
23	सोड़ा	54.00	निर्मित
24	भदाखेड़ी	56.00	कृषि
25	अम्लाहा	57.00	निर्मित
26	भीलखेड़ी	60.00	निर्मित/कृषि
27	गदराखेड़ी	62.00	कृषि
28	लसूरिया-खास	63-64.00	कृषि
29	मनाखेड़ी	65.00	कृषि
30	कोठारी	66-67.00	निर्मित
31	बेड़ाखेड़ी	70.00	कृषि
32	बमोलिया-खिची	72.00	कृषि
33	सैंधोखेड़ी	73.00	कृषि
34	दलपतपुरा	75.00	कृषि
35	किलेरमा	76.00	निर्मित
36	शहबाजपुरा	78.00	निर्मित/कृषि
37	दोराबाद	79.00	निर्मित/कृषि
38	काजीखेड़ी	80.00	निर्मित/कृषि
39	अलीपुर	81.00	निर्मित/कृषि
40	बहादुरपुरा	82.00	निर्मित/कृषि
41	मालीपुरा	83.00	निर्मित/कृषि
42	चचरसी	84.00	कृषि

(1)	(2)	(3)	(4)
43	पगरिया-चोर	85.00	निर्मित/कृषि
44	मिर्जापुर	86.00	कृषि/वन
45	चिन्नोटा	87.00	निर्मित/कृषि
46	हाकिमपुर	88.00	कृषि/वन
47	रुपेटा	89.00	कृषि/वन
48	फुदरा	90.00	कृषि
49	डोंडी	91-95.00	निर्मित
50	झिलेला	96.00	निर्मित/कृषि
51	भाऊखेड़ी	99.00	कृषि
52	गुराड़ियाबड़ा	100.00	कृषि
53	शेखूखेड़ा	101.00	कृषि
54	गुराड़ियामंडा	102.00	कृषि
55	मेहतवाड़ा	104-106.00	निर्मित/कृषि
56	कुंडियाधागा	107.00	कृषि
57	सेमलीबारी	108-110.00	निर्मित/कृषि
58	दौलतपुर	113.00	कृषि
59	अगेरा	115.00	कृषि
60	पिलवानी	116.00	निर्मित/कृषि
61	कराड़िगढ़ा	117.00	कृषि
62	सोनकच्छी	118.00	निर्मित
63	सोनकच्छ	119-121.00	निर्मित
64	सावेंर	122.00	निर्मित
65	रोलूपिपलिया	124.00	निर्मित/कृषि
66	फावड़ा	125.00	निर्मित/कृषि
67	अरण्याजागीर	129.00	निर्मित/कृषि
68	खोनपिपलिया	132.00	निर्मित/कृषि
69	भौरासा	135.00	निर्मित
70	सुमराखेड़ी	137.00	निर्मित/कृषि
71	जामगोद	139.00	निर्मित/कृषि
72	खाटम्बा	144.00	निर्मित
73	जैतपुरा	146.00	निर्मित
74	देवास सीनियर	147-149.00	निर्मित

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2010

क्र. एफ. 23-6-2010-सा-उन्नीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अन्तर्गत इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 23-6-2010-सा-उन्नीस, दिनांक 27 अक्टूबर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, उपसचिव.

Bhopal, the 27th October 2010

No. F-23-6-2010-G-XIX.— WHEREAS, under Section 12 (1) of the Madhya Pradesh Rajmarg Adhiniyam, 2004 (No. 11 of 2005), the State Government intends to fix Building Line and Control line on Bhopal-Dewas Road. As the State Government is convinced that fixing the alignment of above control line and building line is important for public interest, therefore, the Control Line and Building line of Bhopal Dewas Road is proposed to be fixed as follows:—

Control Line 75 Meter on either side from the centre of the Road

Building Line 40 Meter on either side from the centre of the Road

Villages that would be effected due to above line fixation are listed below.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 12 of the Madhya Pradesh Rajmarg Adhiniyam, 2004 (No. 11 of 2005), the State Government, hereby declares that the State Government intends to issue notification as per the terms of Section 12 (1) of the said Act, in which Control Line and Building Line of the proposed road will be fixed. Therefore, if any person or institute has any objection or intends to give any suggestion on the issuance of such notification, it can submit his objection or suggestion in writing to the Highway Authority within 1 month of the publication of this notification in the Gazette or within 15 days from its publication in the village.

Managing Director, Madhya Pradesh Road Development Corporation Ltd., is notified as the Highway Authority having its office at 16-A, Arera Hills, Bhopal under Section 4 of the said Act.

LIST OF VILLAGES ON BHOPAL-DEWAS FOUR LANE ROAD

S.No. (1)	Name of Villages (2)	Chainage/k.m. (3)	Remark (4)
1	Bairagarh-Kalan	11.00	Built-up
2	Bhensha-Khedi	12.00	Built-up
3	Bhauri	13/6	Built-up
4	Jamunia-Chheer	15.00	Built-up
5	Kolu-Khedi	17.00	Built-up
6	Khajure-Sadak	19-20.00	Built-up
7	Fanda-Kalan	22-23.00	Built-up
8	Thuna-Kalan	26.00	Agriculture
9	Lasuriya-Parhar	29.00	Built-up/ Agriculture
10	Takipur	30.00	Built-up/Agriculture
11	Mahuya-khedi	32.00	Built-up/Agriculture
12	Sekada-Khedi	34.00	Built-up/ Agriculture
13	Badiya-khedi	36.00	Built-up/Agriculture
14	Kashba-Sehore	37.00	Built-up/Agriculture
15	Sharanga-khedi	39.00	Built-up/Agriculture
16	Rafique-Ganj	40-41.00	Built-up/Agriculture
17	Napla-Khedi	44-45.00	Built-up
18	Chittodiya-Hema	47.00	Agriculture
19	Jata-Khedi	48.00	Agriculture
20	Khokari	50.00	Agriculture
21	Udpura	52.00	Agriculture
22	Lala-Khedi	53.00	Agriculture
23	Sonda	54.00	Built-up
24	Bhada-khedi	56.00	Agriculture
25	Amlaha	57.00	Built-up
26	Bheel-khedi	60.00	Built-up/ Agriculture

(1)	(2)	(3)	(4)
27	Gadara-khedi	62.00	Agriculture
28	Lasuriya-Khas	63-64.00	Agriculture
29	Mana-khedi	65.00	Agriculture
30	Kothari	66-67.00	Built-up
31	Beda-khedi	70.00	Agriculture
32	Bamuliya-Khichi	72.00	Agriculture
33	Sendho-khedi	73.00	Agriculture
34	Dalpatpura	75.00	Agriculture
35	Kilerama	76.00	Built-up
36	Shehbajpura	78.00	Built-up/ Agriculture
37	Dorabad	79.00	Built-up/ Agriculture
38	KaJi-khedi	80.00	Built-up/ Agriculture
39	Alipur	81.00	Built-up/ Agriculture
40	Bahadurpura	82.00	Built-up/ Agriculture
41	Malipura	83.00	Built-up/ Agriculture
42	Chachrasi	84.00	Agriculture
43	Pagariy-chor	85.00	Built-up/ Agriculture
44	Mirzapur	86.00	Agriculture/Forest
45	Chinnota	87.00	Built-up/ Agriculture
46	Hakimpur	88.00	Agriculture/Forest
47	Rupeta	89.00	Agriculture/Forest
48	Fudra	90.00	Agriculture
49	Dodi	91-95.00	Built-up
50	Jhilela	96.00	Built-up/Agriculture
51	Bhau-Khedi	99.00	Agriculture
52	Guradiabada	100.00	Agriculture
53	Sekhu-kheda	101.00	Agriculture
54	Guradiamanda	102.00	Agriculture
55	Mehatvada	104-106.00	Built-up/Agriculture
56	Kundiadhaga	107.00	Agriculture
57	Semlibari	108-110.00	Built-up/Agriculture
58	Daulatpur	113.00	Agriculture
59	Agera	115.00	Agriculture
60	Pilwani	116.00	Built-up/Agriculture
61	Karadiagada	117.00	Agriculture
62	Sonkatchi	118.00	Built-up
63	Sonkatch	119-121.00	Built-up
64	Sanwer	122.00	Built-up
65	Rolupipalya	124.00	Built-up/Agriculture
66	Fawda	125.00	Built-up/Agriculture
67	Arniyajagir	129.00	Built-up/Agriculture
68	Khonpirpiplya	132.00	Built-up/Agriculture
69	Bhaurasha	135.00	Built-up
70	Sumra-Khedi	137.00	Built-up/Agriculture
71	Jamgod	139.00	Built-up/Agriculture
72	Khatamba	144.00	Built-up
73	Jaitpura	146.00	Built-up
74	Dewas-Senior	147-149.00	Built-up

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh,
J. K. JAIN, Dy. Secy.